फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री दिलीप सिंह पिता रतनसिंह राठौड निवासी दीप भवन, सैलीमाता मन्दीर, देसुरी जिला पाली
– अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 54/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 27.10.2020

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट द्वारा जरिये क्रमांकः /सू.अधि. /रीडर/2020/71–74 दिनांक 07.10.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार पटवार हल्का आमेट में कुल 6113 राजस्व खसरा है एवं इसकी सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति चाही गयी थी। उक्त प्रमाणित प्रति की राशि 12240 बनती हैं जो जमा करा पटवारी हल्का आमेट से प्राप्त करें एवं खसरा नकले ऑनलाईन होने से आप ई मित्र से प्राप्त करें। बिन्दु संख्या 02 में आप द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व खसरो पर किन–किन लोगो का अतिक्रमण है व कब कब बेदखल किया गया है कि सत्य प्रति चाही गयी परन्तु आप द्वारा उक्त बिन्दु में ये स्पष्ट अंकित नही किया गया है कि किस वर्ष की सूचना चाही गयी हैं। पटवार हल्का क्षैत्र में कितने ईट भटटे रजिस्टर्ड है एवं कितनी परमीशन जारी की गयी इसकी सूचना एवं प्रमाणित प्रति चाही गई इसकी सूचना उपखण्ड कार्यालय आमेट के क्षैत्राधिकार में होने से उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त करें। बिन्दु संख्या 4 की सूचना रेती वसूली की कार्यवाही खनिज अभियंता द्वारा की जाती है उक्त सूचना खनिज अभियंता आमेट से प्राप्त करें।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्धानुसार प्रेषित किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द